पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

## पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 213/2020

1. जगदीश पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी गुंजारारी त0 भादरा।

:— वादी

**ब ना म**

1. रामेश्वर पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी गुंजासरी त0 भादरा।
2. लीलाधर पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी गुंजासरी त0 भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री रामेश्वर पत्नी प्रेम जाति जाट निवासी गुंजासरी त0 भादरा हाल राजपुरा साहिनी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
4. गोरांदेवी पुत्री रामेश्वर पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी गुंजासरी त0 भादरा हाल उज्जलवास त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण भारी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा गुंजासरी के खाता सं0 8/7/2 के खसरा सं0 21/2 की 1.421है0, खसरा सं0 28/1 की 0.493है0, खसरा सं0 49/2 की 2.049है0, खसरा सं0 68/1 की 0.241है0 कुल 4.204है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी जगदीश व प्रतिवादी सं0 2 लीलाधर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/2/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



Scanned with CamScanner

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 213/2020

1. जगदीश पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी गुंजासरी त0 भादरा।

:- वादी

**ब ना म**

1. रामेश्वर पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी गुंजासरी त0 भादरा।
2. लीलाधर पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी गुंजासरी त0 भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री रामेश्वर पत्नी प्रेम जाति जाट निवासी गुंजासरी त0 भादरा हाल राजपुरा साहिनी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
4. गोरादेवी पुत्री रामेश्वर पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी गुंजासरी त0 भादरा हाल उज्जलवास त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री कृष्ण भारी **: वादी**
वकील श्री सुरेन्द्र गढवाल **: प्रतिवादीगण**

**निर्णय** **दिनांक :** 15/2/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा गुंजासरी के खाता सं0 8/7/2 के खसरा सं0 21/2 की 1.421है0, खसरा सं0 28/1 की 0.493है0, खसरा सं0 49/2 की 2.049है0, खसरा सं0 68/1 की 0.241है0 कुल 4.204है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर के नाम से दर्ज है जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता बीरबल की खातेदारी हुआ करती थी। बीरबल से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को आपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार ... लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:38 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वाद में प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी स 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा ... किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु जगदीश पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी गुंजासरी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गुंजासरी के खाता सं0 8/7 संवत 2073-76 प्रदर्श 1, सत्यप्रति जमाबंदी रोही डुंगराना खाता सं0



Scanned with CamScanner

59/56 संवत 2071–74 प्रदर्श 2, सत्यप्रति जमाबंदी भू प्रबंध विभाग रोही मोजा गुंजारशी खाता सं0 8 प्रदर्श 3, सत्यप्रति जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2019 प्रदर्श 4, सत्यप्रति जमाबंदी रोही गुंजारारी प्रदर्श 5 ता 8, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत राजपुरा 9 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने राजपुरा व डूंगराना  के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जों सत्यप्रतिलिपि जमावंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 9 में वारिसप्रमाण पत्र में रामेश्वर के दो पुत्र लीलाधर व जगदीश व दो पुत्री सुमित्रा व गोरांदेवी के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही डूंगराना के खाता सं0 59/56/447/2 के खसरा सं0 306/2 की 0.168है0 खसरा सं0 307 की 0.506है0, खसरा सं0 513 की 1.349है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर के नाम यथावत रखते हुए वाद भूमि रोही मोजा गुंजासरी के खाता सं0 8/7/2 के खसरा सं0 21/2 की 1.421है0, खसरा सं0 28/1 की 0.493है0, खसरा सं0 49/2 की 2.049है0, खसरा सं0 68/1 की 0.241है0 कुल 4.204है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर के नाम से दर्ज है में से  प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बरावर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4  ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

**<u>कियात्मक आदेश</u>**

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा गुंजासरी के खाता सं0 8/7/2 के खसरा सं0 21/2 की 1.421है0, खसरा सं0 28/1 की 0.493है0, खसरा सं0 49/2 की 2.049है0, खसरा सं0 68/1 की 0.241है0 कुल 4.204है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर के नाम से दर्ज है में से  प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1,  3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी जगदीश व प्रतिवादी सं0 2 लीलाधर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/2/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



Scanned with CamScanner